

(1)

Prof. Pankaj Kr. Gupta

Assistant Professor (Economics)

(Guest faculty)

R.B.G.R. College, Maharajganj, Siwan

B.A. Part II - Economics (Hons.)

Module 3: Taxation

TOPIC: Taxation - Meaning, Canons and classification

### ★ कर का अर्थ (Meaning of tax)

कर सरकार की आय का मुख्य स्रोत है जो किसी सार्वजनिक कर अधिकारी द्वारा अनिवार्य भुगतान के रूप में लगाया जाता है जिसके बदले में करदाता को एक निश्चित मात्रा में सेवाएँ प्राप्त होती हैं। यह किसी कानूनी अपराध की सजा के रूप में नहीं होता बल्कि इस कर के माध्यम से सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य संपादित किया जाता है, इसलिए इस कर को न्यायसंगत कहा जा सकता है।

### ★ करों की विशेषताएँ (Canons of Taxes)

करों की मुख्यतः तीन विशेषताएँ होती हैं—

(1) कर अनिवार्य होते हैं। सरकार जिस व्यक्ति या संस्था पर कर लगाती है उसे अनिवार्यतः भुगतान करना पड़ता है। कर नहीं देने पर सरकार उचित कार्यवाही कर सकती है।

(2) करों से प्राप्त आय का उपयोग सामान्य जनता के हित की मदों पर खर्च किया जाता है। परंतु, यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति कर देता है उसे कर की आय के बदले में निश्चित मात्रा में लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(2)

(3) कर और व्यय अर्थात् सरकारी व्यय से प्राप्त लाभों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं होता। सामान्यतः यह देखा जाता है कि धनिकों से प्राप्त आय को सरकार सामान्य जनहित के मदों जैसे- चिकित्सा, शिक्षा, दृष्टावस्था चेंशन, सड़क निर्माण, बिजली आदि पर खर्च किया करती है।

### ★ कर लगाने के उद्देश्य (Objectives of taxation)

- (1) आय प्राप्ति
- (2) आर्थिक असमानता को कम करना
- (3) राष्ट्रीय आय में वृद्धि
- (4) आयात-निर्यात को सफलता से चलाना
- (5) आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर नियंत्रण
- (6) आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति
- (7) आर्थिक विकास
- (8) पूँजी निर्माण

### ★ करों का वर्गीकरण (Classification of Taxes)

#### (1) आनुपातिक कर (Proportional Tax)

आय या संपत्ति पर उनकी मात्रा के अनुपात में लगाया जाने वाला कर।  
उदाहरण - यदि सरकार ने आय के 10 प्रतिशत के बराबर कर लगाया है तो 100 ₹ आय वाले को 10 ₹ और 500 ₹ आय वाले को 50 ₹ कर देना होगा।

#### (2) प्रतिगामी कर (Regressive Tax)

जब आय बढ़ने के साथ-साथ कर की दर में कमी होती है।

उदाहरण - यदि सरकार 100 ₹ आय वाले लोगों से 5% कर लेती है 500 ₹ आय वाले से 4% कर लेती है।

(3) अधोगामी कर (Degressive Tax)

जब आय बढ़ने के साथ-साथ कर की दर में घट्टि होती जाए परंतु, यह घट्टि की दर बहुत सामान्य सी हो। इस कर से धनिकों पर कर का भार बढ़ता है।

(4) प्रगतिशील कर (Progressive Tax)

जब आय घट्टि के साथ ही कर की दर में उल्लेखनीय मात्रा में घट्टि होती है। यदि 200 ₹ मासिक आय वाला 5 प्रतिशत कर देता और 500 ₹ मासिक आय वाला 25% कर देता है तो इसे प्रगतिशील कर कहा जाता है।

(5) स्थायी कर (Permanent Tax)

स्थायी रूप से दीर्घकाल के लिए लगाये जाते हैं। जैसे - आय कर, बिक्री कर।

(6) अस्थायी कर (Temporary Tax)

अस्थायी रूप से किसी विशेष काल के लिए विशेष परिस्थितियों के कारण लगाये जाते हैं।

(7) एक कर (Single Tax)

जब एक ही प्रकार का कर विशेष वस्तुओं तथा विशेष वर्ग के सदस्यों पर लगाया जाता है।

(8) बहु कर (Multiple Tax)

इस कर का भार प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है।

(9) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

जब कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़े जो उसे देता है और जिसके भार की वह इससे व्यक्तियों पर न गल सके। जैसे - आय कर।

(10) अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

जब कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसे इससे पर गल देगा है। जैसे - बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर (GST)

(4)

(11) विशिष्ट कर (specific Tax)

जब कर वजन, आकार या इकाई के अनुसार लिया जाता है।

(12) मूल्यानुसार कर (Ad valorem tax)

जब कर वस्तुओं के मूल्य के अनुपात में लगाया जाता है।